आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 232/2024 (विविध प्रार्थना पत्र)

1. राजेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा प्रोपराईटर घनश्याम चाण्डक
   पता–प्लाट नम्बर 37–38 वैष्णोदेवी नगर, लक्ष्मीनारायणपुरा, वी.के.आई. एरिया, जयपुर ।
2. घनश्याम चाण्डक
3. श्रीमती प्रियंका चाण्डक
   पता– प्लाट नम्बर जे–1, अजमेर रोड, सुखी जीवन काम्पलेक्स, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी ऋणी

बनाम

यूग्रो कैपीटल लि. इक्यूनोक्स बिजनिस पार्क, टावर 3, 4th फ्लोर एल बी एस रोड, कुर्ला मुम्बई ।

अप्रार्थी वित्तीय संस्था

प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 189/2024 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) ब उनवानी यूग्रो केपीटल बनाम राजेश्वरी ट्रेडिंग कं. आदेश दिनांक 23.05.2024. में उचित कार्यवाही करने।

उपस्थित–

1. श्री आनन्द सूरा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रेरित गोयल अधिवक्ता अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक **28.11.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 189/2024 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) ब उनवानी यूग्रो केपीटल बनाम राजेश्वरी ट्रेडिंग कं. में पारित आदेश दिनांक 23.05.2024 के संबंध में पेश किया गयाहै।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से वकील श्री प्रेरित गोयल ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत दायर कार्यवाही से पहले णी द्वारा किए गए पत्राचार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर रहे है। जैसा कि अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर अनुरोध के पैरा 4 में उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी वित्तीय संस्था ने अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) के तहत प्रार्थीगण ऋणी को एक नोटिस भेजा जो दिनांक 26.02.2024 को प्राप्त हुआ। दिनांक 26.02.2024 को प्राप्त नोटिस के जबाब में प्रार्थीगण ऋणी ने अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (3) ए के तहत आपत्ति उठाई थी। तर्क और कानून की प्रभावी प्रकिया के लिए अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर हलफनामें को प्रस्तुत करते

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

समय इस पर विचार नहीं किया गया जो अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के पहले प्रावधान के खण्ड 7 के प्रावधान के अनुसार दुरूपयोग की कार्यवाही है जो बैंक को दिनांक 27.04.2024 को प्राप्त हुआ। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि धारा 14 के तहत हलफनामें के साथ अनुरोध दुर्भावनापूर्ण इरादे से कानून की प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये दायर किया गया था। धारा 13 की उप धारा (3 ए) के तहत दायर आपत्ति को स्वीकार न करने के कारण के संबंध में मान्य न्यायालय को सूचित नहीं किया गया । अधिनियम की धारा 14 की उप धारा के प्रथम परन्तुक का खण्ड 7 के अनुसार बैंक द्वारा किसी भी आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पुष्टि किया हुआ शपथ पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें यह घोषित किया जायेगा कि ऋणी से प्राप्त नोटिस के उत्तर में आपत्ति या अभ्यावेदन पर सुरक्षित वित्तीय संस्था द्वारा विचार कर लिया गया है और ऐसी आपत्ति या अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किये जाने के कारण से ऋणी को बता दिया गया है। अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 3 ए के तहत हमारी आपत्ति पर विचार किए बिना जो आवेदन वित्तीय संस्था को 27.04.2024 को प्राप्त हुई थी। बैंक ने अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 4 के तहत एक नोटिस जारी करने से पहले ध्यान में नहीं लिया गया । ऋणी द्वारा यह प्रतिकिया 02.05.2024 को भेजी गई थी जिसे वित्तीय संस्थान ने 04.05.2024 को प्राप्त किया। ऋणी द्वारा उल्लेखित आपत्ति को स्वीकार न करने के संबंध में आवेदक वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 10.05.2024 को भेजा गया था जिसे ऋणी ने दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त किया। आवेदक कम्पनी द्वारा अनुलग्नक 4 में दाखिल पत्र पर प्रतिकिया 28.05.2024 को भेजी गई थी जो ऋणी को 31.05.2024 को प्राप्त हुई। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के महत्वपूर्ण प्रावधान है कि आवेदक वित्तीय संस्थान द्वारा स्टाप्प ड्यूटी की चोरी करने के बारे में विभाग को सूचित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37 की उप धारा 5 के तहत उप महानिरीक्षक (चोरी विरोधी) विशेष सर्किल जयपुर में एक परिवाद दायर किया गया ऋणी सह बंधक समझोते पर वित्तीय संस्थान और उसके कर्मचारी श्री जहीन अख्तर द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से चोरी की गई थी। कर्मचारी और आवेदक कम्पनी के खिलाफ अशोक नगर पुलिस थाना जयपुर में पहले से ही एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत लोक अधिकारी का कर्तव्य, जहां किसी ऋण सह दृष्टिकोण करार में स्टाम्प शुल्क अपर्याप्त है परिपत्र दिनांक 26.11.2019 के पैरा संख्या 7 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि दिनांक 23.05.2024 को जारी आदेश में महानिरीक्षक स्टाम्प पंजीयन अजमेर के उपरोक्त परिपत्र की वैद्यता पर विचार किए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि आवेदक कम्पनी ने मान्य न्यायालय के समक्ष कई तथ्यों को दबा दिया है, जो न कि सरफेशी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के विरूद्व है बल्कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के प्रावधान के संबंध मे भी है। धारा 14 के तहत अनुरोध के समर्थन में दायर हलफनामा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसलिए वित्तीय संस्थान व ऋणी को न्यायालय द्वारा एक साथ सुना जाए ताकि वास्तविक तथ्य संज्ञान में आ सके। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदक कम्पनी के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

खिलाफ उचित कार्यवाही करें। जिसने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत आवेदन करते समय उचित तथ्यों से गुमराह किया है।

5- अप्रार्थी वित्तीय संस्थान के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । धारा 14 सरफेशी अधिनियम 2002 के तहत पारित आदेश को रिकाल/रिव्यु या परिवर्तित किये जाने या ऋणी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को हासिल नहीं है। इसके सम्बन्ध में कई न्यायिक दृष्टान्त भी माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किये गये है। यदि ऋणी को धारा 14 के तहत प्राप्त आदेश से किसी प्रकार की आपत्ति है, तो उसे धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार हासिल है। प्रकरण में वर्तमान में कोई स्थगन आदेश नहीं है फिर भी यदि किसी न्यायालय से स्थगन की जानकारी प्राप्त होगी तो उसकी अक्षरशः पालना अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा की जायेगी। मान्य न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसलिए .णी द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अतः ऋणी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र व अन्य में आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश किये जाने पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये धारा 14 सरफेशी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का जरिये सम्बन्धित पुलिस कब्जा प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 23.05.2024 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश के पश्चात न्यायालय हाजा को किसी प्रकार की सुनवाई एवं पारित आदेश को परिवर्तित या अपास्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये है, उनको तय किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। यदि प्रार्थीगण ऋणी को धारा 14 के तहत प्राप्त आदेश से किसी प्रकार की आपत्ति है, तो उन्हें धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर